



## उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

विविध आवेदन सं०-41/2017

बुधराय सोरेन वगैरह

बनाम्

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर वगैरह

—: आदेश :—

दिनांक 4/7/23

आवेदक बुधराय सोरेन वो संजय सोरेन, पे०-स्व० नीमा सोरेन, सा०-मंगरा, थाना-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा ने अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के नोटिश, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को मौजा-मंगरा नं०-68, जमाबंदी सं०-22, दाग नं०-9, 31, 62, 66, 381, 685 रकवा क्रमशः 03-08-09 धुर, 00-19-07 धुर, 04-01-01 धुर, 03-09-11 धुर, 02-16-13 धुर कुल रकवा 18-09-11 धुर जमीन खाली करने के लिए निदेश दिया गया है, के विरुद्ध आवेदन दिया है एवं नोटिश के द्वारा दिये गये आदेश को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। चूँकि अपीलकर्ता के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील वाद दायर नहीं किया गया है। बल्कि उनके द्वारा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा निर्गत नोटिश के विरुद्ध आवेदन दाखिल किया गया है एवं साथ ही अपीलकर्ता लम्बी अवधि से वर्तमान वाद में अनियमित रूप से अनुपस्थित रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक का आवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,  
गोड्डा।

उपायुक्त,  
गोड्डा।